29. Thrissur
30. Kozikode

XI. *Madhya Pradesh*

31. Sarguja
32. Bhind
33. Guna
34. Raipur
35. Jhabua
36. Betul

XII. *Maharashtra*

37. Chandrapur
38. Yavatmal
39. Beed
40. Nanded

XIII. *Manipur*

41. Imphal

XIV. *Meghalaya*

42. East Garo Hills, West Garo Hill & South Garo Hills

XV. *Mizoram*

43. Lungloi & Aizawal

XVI. *Nagaland*

44. Dinapur & Kohima

XVII. *Orissa*

45. Kalahandi
46. Phulbani
47. Koraput

XVIII. *Punjab*

48. Hoshiarpur

XIX. *Rajasthan*

49. Dausa
50. Tonk
51. Udaipur
52. Jaipur

XX. *Tripura*

53. Tripura (West)

XXI. *Tamil Nadu*

54. Ramanathapuram
55. Tirunelveli
56. Dharmapuri
57. North Arcot
58. South Arcot

XXII. *Uttar Pradesh*

59. Mau
60. Almora & Pithoragarh
61. Chamauli & Uttarkashi
62. Mathura
63. Shahjahanpur
64. Jhansi
65. Jaunpur

XXIII. *West Bengal*

66. Birbhun
67. North 24 Parganas & South 24 Parganas
68. Malda
69. Nadia

XXIV. *Sikkim*

70. Sikkim

मजदूरी और आय के संबंध में सर्वेक्षण प्रतिवेदन

2051. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1993 के आधार पर किए गए मजदूरी और आय सर्वेक्षण पर आधारित मजदूरी और आय संबंधी सर्वेक्षण प्रतिवेदन जारी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने मजदूरी और आय, सर्वेक्षण संबंधी नवीनतम प्रतिवेदन जारी करने के लिए क्या प्रयास किये है?

श्रम मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) से (ग) रोजगार और बेरोजगारी के संबंध में पांचवें पंचवर्षीय सर्वेक्षण जिसमें नियमित मजदूरी/वेतनभोगी कर्मचारियों और नैमित्तिक श्रमिकों की औसत मजदूरी आय के संबंध में भी सूचना है, जुलाई, 93—जून' 94 के दौरान आयोजित किया गया था। संगृहीत आंकड़े प्रक्रियाधीन हैं।

Supply of Coal to U.P.S.E.B.

2052. SHRI RAM NATH KOVIND: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether some requests have been received from U.P. for immediate in-

creased supply of coal to the power houses of the U.P.S.E.B.;

(b) if so, the details thereof with background;

(c) whether poor stock availability of coal in U.P. has necessitated for such urgent supplies;

(d) whether Government propose to ascertain similar stock availability of coal in other States and Union Territories of the country before providing coal supply to U.P.; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (e) Request have been received including from Uttar Pradesh for enhanced supplies of coal to Thermal Power Stations.

The present linkages to all power houses in the country, including those power houses of Uttar Pradesh State Electricity Board have been sanctioned taking into account the recommendations made by the Ministry of Power and within the overall quantity earmarked for the power sector.

For the year 1995-96, Planning Commission has fixed the overall demand of different sectors at 288 million tonnes, which includes 184.20 million tonnes for power sector. The production programmes of the coal companies in India geared to meet this level of demand which was agreed in the Planning Commission. It is not practical and possible for the Coal Companies to meet the higer level of demand of a particular sector. The increased demands of power sector may have to be met through imports which can now be made freely.

Coal Companies are striving to maximise coal production and supply the same to all the consumers including power stations as per the annual plan finalised in consultation with the Planning Commission. Supply of coal to power houses is accorded top-most priority and is monitored regularly by an inter-ministerial committee. Corrective action is taken wherever necessary.

* कृषि श्रमिकों की कमी

2053. **श्री नागमणि:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर उत्तरी राज्यों में खरीफ फसलों की कटाई के मौसम के दौरान कृषि श्रमिकों की भारी कमी रही है;

(ख) क्या सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि श्रमिकों को संशोधित दरों पर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) ऐसी कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) से (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत, केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित नियोजनों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण/संशोधन हेतु समुचित सरकारें हैं। तथापि, कृषि संबंधी नियोजन मुख्यरूप से राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। केन्द्रीय सरकार, कृषि और रक्षा मंत्रालयों आदि के अंतर्गत कृषि फार्मों के संबंध में सीमित सीमा तक ही संबंधित है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में यह प्रावधान है कि मजदूरी की न्यूनतम दरों की पांच वर्षों की अवधि के भीतर समीक्षा/संशोधन किया जा सकता है। अधिनियम में अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने के उद्देश्य से प्रवर्तन तंत्र के गठन का भी प्रावधान है। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रवर्तन तंत्र गठित किया है। प्रवर्तन तंत्र नियमित निरीक्षण करवाते हैं और जब कभी भी अधिनियम के किसी उल्लंघन की बात उनके ध्यान में आती है आवश्यक कार्रवाई की जाती है।